न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/357
दायरा तिथि : 21.12.2021
आदेश तिथि : 11-12-24

प्रार्थी :–

लाली बाई पत्नि सुजाराम जाति कुम्हार निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कुपाराम पुत्र ईन्दाराम जाति सीरवी निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज.)
2. मांगीलाल पुत्र राजाराम
3. लेहरी बाई पत्नि मांगीलाल जाति मेणा
4. गोविन्दराम पुत्र भोमाराम जाति मीणा
5. ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपाराम
6. लक्ष्मण पुत्र स्वरूपाराम जाति मेघवाल
7. प्रेमा पुत्र भगाजी
8. स्व. लुम्बा पुत्र भगाजी के का.मु.–
   (अ) नरेश कुमार पुत्र लुम्बारामजी
   (ब) प्रकाश कुमार पुत्र लुम्बारामजी
   (स) सुरेश कुमार पुत्र लुम्बारामजी
   (द) भारती पुत्री लुम्बारामजी
   (य) फूलीदेवी पत्नि लुम्बारामजी जातिगण खटीक निवासीगण लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश — दिनांक : 11-12-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2230 रकबा 0.7500 हैक्टर में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2217 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नंबर 2218 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 2450/2219 रकबा 0.36 हैक्टर व खसरा नंबर 2226 रकबा 0.79 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में केसारिया रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/377 दिनांक 14.02.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2230 रकबा 0.7500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि लाली बाई पत्नि सुजाराम जाति कुम्हार निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज.) के नाम से खातेदारी की दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते हेतु आवेदित खसरा नंबर 2230, 2265, 2229 व 2228 की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। खसरा नंबर 2265 किस्म गै.मु. नाला मौके पर रास्ते जैसा ही है। अन्य विकल्प खसरा नंबर 2228 व 229 से उपयुक्त व सुलभ रहेगा।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार...............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं. 76/2021 GCMS NO2021/357
अनवान लाली बनाम कूपाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. यह है कि ग्राम लुणावा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2217	0.41 हैक्टर	बारानी अव्वल	4X34= 136 वर्गमीटर	कूपाराम पुत्र इन्दाराम हिस्सा 1/2, गंगा देवी पत्नि इदाराम हिस्सा 1/2 सिरवी
2	2218	0.36 हैक्टर	बारानी अव्वल	4X34= 136 वर्गमीटर	मांगीलाल पुत्र राजाराम हिस्सा 1/2 मीणा
3	2450/2219	0.36 हैक्टर	बारानी अव्वल	4X68= 272 वर्गमीटर	मांगीलाल पुत्र राजाराम हिस्सा 1/2, लेहरी बाई पत्नि राजाराम हिस्सा 1/2
4	2226	0.79 हैक्टर	बारानी अव्वल	4X40= 160 वर्गमीटर	गोविन्दराम पुत्र भोमाराम मीणा

वैकल्पिक रास्ता के रूप में प्रभावित खसरों का विवरण:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2228	0.67 हैक्टर	बारानी अव्वल	4X90= 360 वर्गमीटर	ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम हिस्सा 1/2, लक्ष्मण पुत्र स्वरूपराम हिस्सा 1/2
2	2229	0.51 हैक्टर	बारानी अव्वल	4X36= 144 वर्गमीटर	पेमा पुत्र भगा हिस्सा 1/2, लुम्बा पुत्र भगा हि. 1/2 खटीक

3. यह है कि ग्राम लुणावा की डी.एल.सी.दर 2,56,230/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि एवं वैकल्पिक रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष पक्का निर्माण कार्य इत्यादि अन्य कोई क्षति नहीं हैं। प्रार्थी के आवेदित रास्ते की भूमि खसरा नंबर 2218, 2450/2219 एवं 2226 में मौके पर गेहू की फसल खडी है। रास्ते हेतु प्रभावित गेहू की कीमत करीबन 10,000 रू है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली ने आवेदित रूट के साथ वैकल्पिक मार्ग का भी विकल्प पेश किया। प्रकरण में आवेदित मार्ग व वैकल्पिक मार्ग के खातेदारान को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी गोविन्दराम ने रास्ता देने बाबत सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी कूपाराम व मांगीलाल की ओर से वकील श्री दिनेश गहलोत ने वकालतनामा मय आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी ओमप्रकाश व लक्ष्मण ने उपस्थित होकर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी प्रेमा की ओर से वकील श्री मनोहरसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी लुम्बा के कामु वारिसान की ओर से वकील श्री कृष्णा सुथार ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण प्रेमा व लुम्बा के कामु को जवाब/आपत्ति पेश करने हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब/आपत्ति पेश करने में विफल रहने पर इनके जवाब/आपत्ति का अवसर बंद किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन एंव वकुलाय की बहस से ज्ञात है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि लुणावा के खसरा नंबर 2230 में आवागमन के लिये खसरा नंबर 2217, 2218, 2450/2219 से रास्ता की मांग की गई है। जिसके खातेदार कुपाराम पुत्र इन्दाराम व मांगीलाल पुत्र राजाराम द्वारा आपत्ति की गई है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कदीम से लुणावा के खसरा नंबर 2265 से 2228 व 2227 के बीचों बीच से आवागमन करते आ रहे है। तथा खसरा नंबर 2228 के खातेदार ओमप्रकाश, लक्ष्मण पि. सरूपाराम मेघवाल द्वारा आपत्ति की गई है कि लाली व तुलसाराम ने सांठ–गांठ कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा तुलसाराम के खसरा नंबर 2230/2359 व 2231 नही बताये। पटवार हल्का लुणावा ने खसरा नंबर 2228, 2229 में से रास्ता प्रस्तावित किया। लाली के खेत खसरा नंबर 2230 से पहले खसरा नंबर 2230/2359 है, जो रास्ता के खसरा नंबर 2265 से लगता हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं. 76/2021 GCMS NO2021/357
अनवान लाली बनाम कूपाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा आवेदित रूट के खातेदारान द्वारा रास्ता खसरा नंबर 2228 व 2227 के बीचो बीच से सुझाया गया तथा खसरा नंबर2228 के खातेदारान् द्वारा खसरा नंबर 2230/2359 से दर्शाया गया। परंतु कही से भी प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक आवागमन के लिये रिकार्डेड रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही होना ज्ञात है। ओमप्रकाश वगैरा की आपत्ति में बल इसलिये नही है कि खसरा नंबर 2230/2359 से लगता खसरा नंबर 2265 गै.मु. नाला है, जिससे इस रूट से रास्ता नियमो के तहत संभव नही है। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार के पत्रांक राजस्व/2022/377 दिनांक 14.02.2022 से प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेखित वैकल्पिक मार्ग खसरा नंबर 2228 व 2229 का निकटतम मार्ग है जिससे निकटतम रूट से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2230 रकबा 0.7500 हैक्टर में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2228 रकबा 0.67 हैक्टर व खसरा नंबर 2229 रकबा 0.51 हैक्टर **में से कुल 360+144=404 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 256230 /– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2228	0.67 हैक्टर	4X90= 360 वर्गमीटर	26	9360 X2=18720	ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपराम हिस्सा 1/2, लक्ष्मण पुत्र स्वरूपराम हिस्सा 1/2
2229	0.51 हैक्टर	4X36= 144 वर्गमीटर	26	3744 X2=7488	पेमा पुत्र भगा हिस्सा 1/2, लुम्बा पुत्र भगा हि. 1/2 खटीक

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **26208/–** (अक्षरे छब्बीस हजार दौ सौ आठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जावेगी। प्रतिकर राशि नहीं लेने की दशा में तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली व भू.–अभि. सेवाडी द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2024/2499-2503
दिनांक : 13/12/2024

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. भू.अ.निरीक्षक सेवाडी
3. पटवारी हल्का लुणावा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री लाली बाई पत्नि सुजाराम जाति कुम्हार निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

मौका फर्द

आज दिनांक 2/2/2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब बाली के आदेश क्रमांक /राजस्व/2022/31 दिनांक 5.1.2022 की पालना ग्राम लुणावा के ख.न. 2230 रकबा 0.75 है. की खातेदार लालीबाई w/o सुजाराम कुम्हार द्वारा अपने खेत में जाने हेतु मांगे गये नये रास्ते अन्तर्गत धारा 251(A) की जाँच हेतु मौके पर पहुंचा। प्रार्थीया द्वारा ख.न. 1775 जो लुणावा से कोटरवा महादेव डामर सड़क है से ख.नं. 2217 रकबा 0.41 बा.अ. जो कूपाराम s/o इन्द्राराम गंगादेवी w/o इन्द्राराम सीरवी एवं ख.नं. 2218 रकबा 0.36 है. बा.अ. मांगीलाल पुत्र राजाराम मीणा ख.न. 2450/2219 रकबा 0.36 बा.अ. मांगीलाल पुत्र राजाराम लेहरीबाई पत्नी राजाराम मेणा एवं ख.न. 2226 रकबा 0.79 है. बा.अ. गोविन्द राम s/o ओमाराम मीणा सा. देसुरी की खातेदारी मे से नया रास्ता मांगा गया है। जिसका नजरी नक्शा निम्न है।

नजरी नक्शा

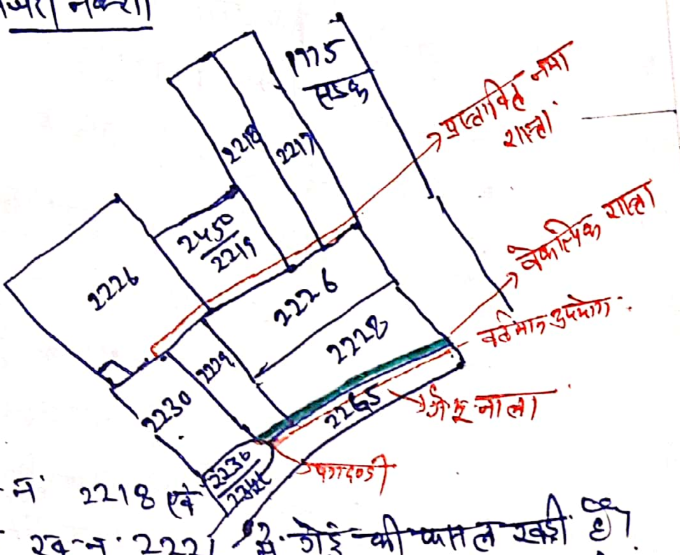

मौके पर ख.न. 2218 एवं 2450/2219 व ख.न. 2226 में गेहूं की फसल खड़ी है। प्रस्तावित रास्ते में कोई निर्माण नहीं है। कोई बड़ा वृक्ष वगैरह नहीं है मौका फर्द बनाकर हस्ताक्षर कराये।

तहसीलदार मजिस्ट्रेट एवं पदेन ... अधिकारी, बाली

पटवारी लुणावा

भू.अ.नि. देसूरी

सुजाराम

बागाराम s/o गोमाराम